

दूरभाष Telephone: 0172- 2607580
Email : hp.gdc soi@gov.in



दिनांक Dated : 16 -02-2021

सं०No.: प्रशा०- 538/37-जी-9

नेमी आदेश सं० 01/37-जी-9 दिनांक 10-02-2021

ROUTINE ORDER NO. ADM- 01/37-G-9 DATED 10-02-2021

1) एम० ए० सी० पी० योजना के अर्न्तगत वित्तीय उन्नयन
FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME :-

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र सं० ए-11019/1/2008-सी० डी० एन०, दिनांक 08-06-2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन सं० 35034/3/2008-स्था० (डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) को उनके नाम के सामने दर्शाए गए विवरणानुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम०ए०सी०पी० योजना के अर्न्तगत वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है:-

In pursuance of the instructions contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personal & Training) O.M. No. 35034/3/2008-Estt. (D) Dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter no. A-11019/1/2008-CDN Dated 08-06-2009 the following Gp. 'B' (Gazetted) in the establishment are hereby granted **Third Financial Upgradation** under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee in the Pay Matrix Level-10 as shown against his name:-

| क्रम सं० Sl. No. | नाम व पदनाम Name & Designation | वित्तीय उन्नयन पर वेतन मैट्रिक्स लेवल Grade Pay/Pay Matrix Level on Financial Upgradation | (MACP) वित्तीय उन्नयन MACP Financial Upgradation | (MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि Date of MACP |
|--|---|---|---|---|
| 1. | श्री जगमोहन सिंह नेगी, अधिकारी सर्वेक्षक Sh. Jagmohan Singh Negi, Officer Surveyor | वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 Pay Matrix Level-10 | तृतीय वित्तीय उन्नयन Third Financial Upgradation | 01-10-2019 |
| प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून का दिनांक 15-01-2021 का पत्र सं०सी-106/1902-एम०ए०सी०पी०.III(OS)(Coll.VII) (Authority:- Surveyor General of India, Dehradun letter No. C-106/1902-MACP-III (OS) (Coll.VII) dated 15-01-2021 | | | | |

1. उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा
The pay of the above officers/employees will be fixed by the Head of Office.
2. उपरोक्त कर्मचारी को अपने वेतन निर्धारण के लिए एफ0आर0 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प एक माह के भीतर देना होगा।
The person concerned is required to exercise an option for fixation of pay under FR 22(1)(a)(1) in the new scale of pay on grant of financial upgradation under MACP Scheme within one month.
3. अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस केन्द्र के वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा तथा समुचित लेखा-शीर्ष के नामें डाला जाएगा।
The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of this Office for the financial year 2020-21 and debited to the appropriate Head of Account.



(के ए ग्रेवाल) कर्नल
निदेशक,

हिमाचल प्रदेश जी०डी०सी०

वितरण:-

- 1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ। (ई-मेल द्वारा)
- 2) अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ। (ई-मेल द्वारा)
- 3) उप लेखा नियंत्रक, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, जयपुर को सूचनार्थ। (ई-मेल द्वारा)
- 4) प्रभारी विभागीय वेबसाइट, देहरादून को संबंधित टैब में प्रकाशित करने हेतु।(admn.soi@gov.in)
- 5) प्रभारी आदान एवं लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।